यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** के माह 07/2015 से माह 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविंद कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.08.2017 से 25.08.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा राकेश रंजन, स.ले.प.अ. श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री विनीत कु. राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2015 से 25.07.2015 तक श्री आई. के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें राजस्व हेतु माह 05/2013 से 06/2015 तक एवं व्यय हेतु माह 05/2013 से 06/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 07/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वानिकी कार्य एवं नैनीताल एवं उधमसिंह नगर का क्षेत्र।

(ii) (अ) राजस्व का विवरणः विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

(ii) (ब)

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	6031.59
2015-16	6948.27
2016-17	2192.73

बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (रू लाख में)		गैर स्थापना (रू लाख में)	
	स्थापना (₹)	गैर स्थापना (₹)	आवंटन (₹)	व्यय (₹)	आवंटन (₹)	व्यय (₹)
2014-15	---	---	1906.65	1906.65	75.87	75.87
2015-16	----	----	1056.39	1056.39	471.46	471.46
2016-17	-----	-----	1089.45	1089.45	731.70	731.70

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त (रू लाख में)	व्यय (रू लाख में)
2015-16	इंटिफिकेसन	------	2.536	2.536
2016-17	आफ मेनेजेमेंट	-----	6.18	6.18
2015-16	प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट	.....	3.41	3.41
2016-17		.....	8.33	8.33

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

(V) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

857

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- (राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये)

माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(राजस्व)

भाग दो अ

प्रस्तर-01 रायल्टी की कम वसूली ₹ 1.26 करोड़

(क) उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 397/ X-3-15-21(08)/2010 दिनांक 06.05.2015 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि पुराने यूकेलिप्टिस वृक्ष जिनका व्यास श्रेणी 30-35 के ऊपर हो उनके वास्तविक उत्पादन के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाए, जिससे कि प्रकाष्ठ की चोरी पर रोक लगने के साथ-साथ राज्य सरकार को राजस्व की हानि न हो सके।

प्रभाग के अभिलेख सी-4 ए की जांच मे पाया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 मे यूकेलिप्टस के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन का विवरण निम्नलिखित था।

वर्ष	अनुमानित मात्रा (घ0मी0)	वास्तविक उत्पादन मात्रा (घ0मी0)	अधिक उत्पादन	दर प्रति (घ0मी0)	धनराशि रुपये में जिसे वन निगम द्वारा जमा नहीं कराया गया।
2014-15	12470.968	16015.80263	3544.83463	1833	64,97,682
2015-16	8166.67	11197.58	3030.91	1833	55,55,658
	1718.50	2133.36	414.86	1833*3/4= 1374.75*	5,70,329
योग					1,26,23,669

* अधिक उत्पादन मे सूखे/उखड़े वृक्ष के शामिल होने के कारण न्यूनतम दर के अनुसार।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल अधिक उत्पादन का ₹ 1,26,23,669वन निगम द्वारा जमा नहीं कराया गया था। इसके साथ ही, निगम द्वारा 2360.6768 घन मीटर जलौनी लकड़ी, 55367.3576 घन मीटर सोखता एवं 81135.3608 घन मीटर जड़ों के उत्पादन पर रॉयल्टी भी जमा नहीं की गयी थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा बताया गया कि रॉयल्टी वृक्षों के आकलित आयतन (सीसीएफ़) के आधार पर जमा कराई जाती है न कि वास्तविक उत्पादित आयतन के आधार पर जमा कराई जाती है। तथापि, प्रभाग का उत्तर ऊपर वर्णित शासनादेश के प्रकाश में स्वीकार्य नहीं था।

प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

852

(व्यय)

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-02: लेंटाना उन्मूलन कार्य तीन वर्षों तक लगातार नहीं किए जाने के कारण ₹ 63.86 लाख का निष्फल व्यय।

किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चात् भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके तीन वर्ष तक लगातार उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के उपचार तथा उन्मूलन हेतु लिए गए क्षेत्र को लगातार तीन वर्षों तक उपचार नहीं किया गया जिससे की अधूरे उपचार पर किया गया व्यय निष्फल रहा जैसा की नीचे दी गयी तालिका में देखा जा सकता है।

State Sector					
Year	**Area taken up in ha.**	**Year of treatment**	**Expenditure in ₹ (expenditure in ₹ per ha.)**	**Shortfall in treatment in ha.**	**Unfruitful expenditure**
2013-14	224.40	(I)	1170000 (5214)		
2014-15	59.40	(II)	300000 (5050)	165	165*5214= **860310**
2015-16	44.40	(III)	150000 (-)	15	15*5050+15*5214=**153960**
CAMPA					
2013-14	210	(I)	1050000		
2014-15	210	(II)	1088000		
2015-16	0	(III)	0	210	1050000+1088000= **2138000**
2014-15	191.29	(I)	1734000		
2015-16	191.29	(II)	991000		
2016-17	0	(III)	0	191.29	1734000+991000=**2725000**
2015-16	56.15	(I)	509000		
2016-17	0	(II)	0	56.15	**509000**
Unfruitful Expenditure on account of not continuing treatment for three consecutive years					6386270

(850)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रभाग द्वारा 2013-14 से 2015-16 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 63,86,270 लाख का व्यय निष्फल रहा।

उक्त को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि बजट की मांग की गयी थी बजट का आबंटन न होने के कारण अगले वर्षो मे उपचार नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि लेंटाना उन्मूलन का कार्य लगातार तीन वर्षों तक लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार तीन वर्षों तक लगातार लेंटाना उन्मूलन संबंधी कार्यवाही न किए जाने से ₹ 63.86 लाख के निष्फल व्यय हुआ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 03- स्वीकृति में विलंब के कारण लागत में वृद्धि ₹ 2.17 करोड़।

उत्तराखंड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रामनगर द्वारा तैयार किए गए ₹ 219.39 लाख के आगणन पर नवम्बर 2009 में प्रमुख वन संरक्षक द्वारा प्रशाशनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मांगी गयी जिससे कि हल्द्वानी में विभागीय कार्यालयों (अपर प्रमुख वन संरक्षक- अनुसंधान, मुख्य वन संरक्षक- कार्ययोजना एवं वन संरक्षक- पश्चिमी वृत के कार्यालय भवन) का निर्माण किया जा सके। उक्त प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सितंबर 2009 में भेजा गया था।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के उक्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर आगे अनुसरण करने हेतु प्रभाग उत्तरदायी था जबकि प्रभाग की तरफ से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे प्रस्ताव को न तो टीएसी स्वीकृति और न ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो सकी जबकि प्रभाग ने दिसम्बर 2010 में कार्यदायी संस्था को ₹ 40.13 लाख निर्गत कर दिये। बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के ही धनराशि निर्गत कर दिये जाने के कारण के कारण शासन द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी एवं स्पष्टीकरण भी मांगा गया। दूसरी तरफ, फरवरी 2011 में निगम ने शासन को सूचित किया कि अब कार्य का नए सिरे से आगणन करके ही कार्य करवाया जा सकेगा। जुलाई 2011 में प्रस्तुत नए आगणन ₹ 320.08 लाख को भी डेढ़ वर्ष तक स्वीक्रति प्राप्त नहीं हो सकी और इसे नवम्बर 2014 में बढ़ाकर ₹ 485.04 लाख कर दिया गया। इस आगणन को टीएसी द्वारा ₹ 436.61 लाख पर स्वीक्रति दी गयी जिस पर सितंबर 2015 में शासन द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीक्रति भी दे दी गयी। अतः, उक्त कार्य को विभाग द्वारा अनुसरण न किए जाने के कारण टीएसी स्वीक्रति एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने में 6 वर्ष की देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 2.17 करोड़ (436.61लाख -219.39 लाख= 217.22 लाख) की वृद्धि हुई। अद्यतन, कार्यदाई संस्था को ₹ 2.81 करोड़ निर्गत किया जा चुका है और 75 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य के सितंबर 2017 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने स्वीकार किया कि शासन स्तर पर स्वीकृति में विलंब होने के कारण दरों में बार- बार परिवर्तन हुआ जिससे आगणन पुनरीक्षित हुए। तथापि, अपर प्रमुख वन संरक्षक ने अप्रैल 2011 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि शासन के वित्त विभाग की टीएसी प्राप्त करना वनाधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है फिर भी प्रभाग की तरफ से उक्त दिशा में कोई प्रयास नहीं किया पाया गया

(846)

जिस कारण से शासन की स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप कार्य की लागत में ₹ 2.17 करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग दो ब

प्रस्तर- 01: ₹ 1.71 लाख मूल्य के स्टाम्प शुल्क कम जमा कराया जाना।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) में यह प्रावधान किया गया है कि वर्षानुवर्ष, या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिये या वार्षिक किराया सुरक्षित करने वाली, अचल–सम्पत्ति की लीज के लेखपत्र का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो विलेख एक वर्ष से कम अवधि के लिए हैं उनका रजिस्ट्रीकरण एच्छिक है किन्तु उसके प्रतिफल की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है। **इसी के साथ,** इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 35 (C)(i) में स्टाम्प शुल्क की गणना हेतु बाजार मूल्य/प्रतिफल आंकलन का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–668/27-9-2009/स्टाम्प/2008 दिनॉक 02 सितम्बर, 2009 से लीज पर स्टाम्प शुल्क 2% की दर से निर्धारित किया गया है।

प्रभागीय वनधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी नैनीताल के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि शासन के पत्रांक 148/x-4-16/2(8)/2016 दिनांक 30-05-2016 द्वारा उधमसिंघ नगर के अंतर्गत 220/33 के0 वी0 विधुत केंद्र जाफ़रपुर निर्माण हेतु 2.378 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन आफ उत्तराखंड लि0 को 30 वर्ष पर विधिवत स्वीकृति दिये जाने विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 8 बी/यू0सी0/04/52/2014/2391 दिनांक 02/02/2016 आधार पर कतिपय शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 21 के अनुसार वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाज़ार दर का लीज अवधि /99 ₹ प्रोरेटा मूल्य (प्रीमियम) के रूप मे एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर प्रभाग द्वारा उक्त भूमि हेतु कुल प्रीमियम ₹ 65,57,515 एवं 30 वर्ष हेतु रेंट ₹ 19,67,255 तय किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वन भूमि को 30 वर्ष पर दिये जाने हेतु ₹ 100 स्टम्प पेपर पर पट्टा विलेख कराया गया था जबकि इंडियन स्टम्प एक्ट की अनुसूची 2 ख के अनुच्छेद 35 (C)(i) के अनुसार प्रीमियम ₹ 6558000 + किराया 19,67,225= 85,25,225पूर्णांकित 85,26,000/- का 2 प्रतिशत अर्थात ₹ 1,70,520/- का स्टांप शुल्क देय था एवं इसे उपनिबंधन कार्यालय मे पंजीकृत भी कराया जाना था जबकि उक्त वसूली एवं पंजीकरण नहीं करवाया गया था।

उक्त को इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा लेखापरीक्षा को अवशेष स्टांप शुल्क संबन्धित विभाग से वसूल किए जाने का आश्वाशन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 02 अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों से अर्थ दंड की कम वसूली किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 11.73 लाख की क्षति

उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1590/ **VII**-1/2015/ 158-खा/ 2004 दिनांक 07.10.2015 के अनुसार प्रदेश में खनिजो के परिवहन हेतु वाहनो की भार क्षमता के अनुसार अवैध परिवहन पर आरोपित की जाने वाली धनराशि को शमन किए जाने के संबंध में (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली), अतिरिक्त प्रावधान किए गए जिस में वाहनो के प्रकार के अनुसार अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनो (प्रकार के अनुसार) तथा वाहन में लदा हुआ खनिज की रायल्टी की गणना की जाएगी।

प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी, नैनीताल के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनो से रायल्टी कि वसूली नहीं की गयी इसके अतिरिक्त संलग्नक में दिये गए वाहनो (07/15 से 03/17 तक) से उनके प्रकार के अनुसार अर्थदण्ड की धनराशि नहीं ली गयी थी जिससे विभाग को ₹ 11.73 लाख की धनराशि कम प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, खनिज़ पर ली जनी वाली रायल्टी भी वसूल नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि वनाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रविधानों से नियंत्रित होती है न की खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के प्रविधानों से। अतः वर्णित अधिसूचना के आधार पर अर्थदण्ड एवं खनिज पर देय रायल्टी की वसूली करने का कोई विधिक आधार उपलब्ध नहीं है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उप खनिज (**minor minerals**) भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) के अन्तर्गत **Forest Product** नहीं है जिस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा- 42 लागू नहीं होती है। साथ ही माइन्स एण्ड मिनरल (रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) एक्ट 1957 के अधीन लागू उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2001 की धारा-1(4) में यह उल्लेख किया गया है कि यह राज्य में उपलब्ध समस्त उप खनिजों पर प्रवृत्त होगी।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

S.no. of Registraion	Page No.	Date of Report	Vehicle	Type of Vehicle	Commoudity of mentioned	Penalty imposed	Penalty leviable	difference
43	95	02.06.15	UA04C/6546	Truck	SAND	5000	1,00,000	95,000
46	96	05.06.15	-	Tractor	-do-	15,000	50,000	35,000
47	96	06.06.15	-	Tractor	-do-	15,000	50,000	35,000
48	97	09.06.15	UP07-5637	Tractor	-do-	15,000	1,00,000	85,000
50	98	15.06.15	-	Tractor	-do-	20,000	50,000	30,000
51	98	19.06.15	UK04N9023	Tractor	STONE	20,000	50,000	30,000
52	98	19.06.15	NOT MENTIONED	-DO-	SAND BAJRI	Under inquiring FIR Registered	50,000	-
85	112	14.09.15	-DO-	-DO-	SAND	10,000	50,000	40,000
86	112	19.09.15	-DO-	-DO-	-do-	10,000	50,000	40,000
87	112	22.09.15	-DO-	-DO-	-do-	10,000	50,000	40,000
90	113	30.09.15	-DO-	-DO-	-do-	7,000	50,000	43,000
105	121	20.10.15	-	-DO-	-do-	5,000	50,000	45,000
106	121	21.10.15	-	-DO-	-do-	5,000	50,000	45,000
110	123	01.11.15	-	-DO-	-do-	5,000	50,000	45,000
127	131	29.11.15	-	Tractor	-do-	25,000	50,000	25,000
128	131	29.11.15	-	-DO-	SAND	10,000	50,000	40,000
151	141	11.01.16	-	-DO-	-do-	15,000	50,000	35,000
165	147	16.02.16	-	-DO-	-do-	50,000	50,000	-
166	148	18.02.16	-	Tractor Trolly	SAND	15,000	50,000	35,000
Year 2016-17								
32	22	20.05.16	-	Tractor	SAND	15,000	50,000	35,000
36	23	05.06.16	-	-DO-	SAND	40,000	50,000	10,000
39	24	09.06.16	-	-DO-	SAND	20,000	50,000	30,000
43	27	20.06.16	UK06CA7241	Dampar	BAJRI	20,000	2,00,000	1,80,000
59	36	27.07.16	-	Tractor	SAND	5000	50,000	45,000
73	42	27.08.16	-	Tractor	-do-	20,000	50,000	30,000
79	44	01.09.16	-	Tractor	RBM	40,000	50,000	10,000
94	52	23.09.16	-	Tractor	SAND	25,000	50,000	25,000
97	53	02.10.16	-	Tractor	SAND	10,000	50,000	40,000
99	54	21.10.16	-	Tractor	SAND	50,000	50,000	--
107	60	05.11.16	-	Tractor	SAND	25,000	50,000	25,000
129	76	29.12.16	-	Tractor	SAND	25,000	50,000	-
							Total	**11,73,000**

भाग दो ब

प्रस्तर 03- अनियमित व्यय ₹ 11.54 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओहेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

प्रभाग की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल मैनपावर साल्यूसन्स, मल्लीताल द्वारा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 04/2016 से 03/2017 तक ₹ 11,53,862 का भुगतान किया गया है (विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार)। मै0 ग्लोबल मैनपावर साल्यूसन्स, मल्लीताल से अनुबंन्ध बिना निविदा/कोटेषन के आमंत्रण पर कर लिया गया है जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

इस विषय में इंगित करने पर प्रभाग द्वारा बताया गया कि मै0 ग्लोबल मैनपावर साल्यूसन्स, मल्लीताल एक सामाजिक संस्था है जिसके विषय में आयुक्त कुमाऊँ द्वारा निर्गत आदेश के कारण इसे विभागीय दरों पर मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योकि विभाग द्वारा आयुक्त कुमाऊँ द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन के कारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था जिसके कारण ₹ 11.54 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
53/2015-16	0	0

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
	शून्य			

व्यय से संबंधितः विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
53/2015-16	1	1,2

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः शून्य**
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा. पराग मधुकर धकाते	D.F.O (11.11.15-22.01.16)
(ii)	श्री सनातन	D.F.O(23.01.16-05.08.16)
(iii)	सुश्री कल्याणी	D.F.O(16.08.16- 07.08.16)
(iv)	डा. चंद्रशेखर	D.F.O(08.08.16- 09.09.16)
(v)	सुश्री कल्याणी	D.F.O(10.09.16- वर्तमान)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

RS 22-09-17

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी